स्पीकर देवनानी द्वारा संसदीय संस्कृति में किये गए नवाचारों से लोकतंत्र में आमजन की आस्था बढी : मुख्यमंत्री

संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत है और विपक्ष के सुझावों पर विचार किये जाना भी आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा अधिक दिनों तक और नियमों व परम्पराओं से चल रही है। हम सभी का भी एक ही ध्येय होता है कि राजस्थान की जनता का भला किस प्रकार से किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पीकर वासुदेव देवनानी द्वारा विधान सभा में किये गये नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि विगत दो सालों में पुस्तकें लिखकर उन्होंने संसदीय परम्पराओं के प्रति लोगों की रूचि बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जो परम्परा रही है वह बहुत ही ऐतिहासिक और संसदीय मूल्यों पर आधारित है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा राजस्थान विधान सभा में किये गये नवाचारों पर आधारित पुस्तक ''संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि'' के नवीन संस्करण कृति के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। उन्होंने स्पीकर देवनानी की दोनों पुस्तकों का अनावरण कर विमोचन किया और उत्कृष्ट लेखन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह समारोह लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय संस्कृति की सतत यात्रा का उत्सव है। लोकतांत्रिक संस्थाएं तब ही सशक्त बनती है जब वे परम्पराओं और नवाचारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जन भागीदारी, पादर्शिता को केंद्र में रखकर कार्य करती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक ''संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि'' के नवीन संस्करण का विमोचन किया। इस मौके पर स्पीकर देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी मौजूद थे।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जायेगा। विधानसभा में संसदीय व्यवस्था को मजबूती देने और संसदीय संस्कृति को उत्कर्ष बनाने के लिए अनेक नवाचार किये गये है। राजस्थान विधानसभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को 50 हजार से अधिक लोगों ने देख लिया है। यह लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था का परिचायक है।

- **50 हजार से अधिक लोगों ने देखा विधान सभा का संग्रहालय : देवनानी**

देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में सेन्ट्रल हॉल का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 14 करोड रूपये की राशि भी बजट में पारित कर दी है। देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के अमृत महोत्सव के लिए भी राज्य सरकार द्वारा बजट में राशि का प्रावधान किये जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

देवनानी ने कहा कि विधान सभा के नवाचारों में बजट की कोई कमी नहीं रखने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है।

देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में संविधान गैलेरी, वन्दे मातरम की 150वीं जयन्ती पर वन्दे मातरम दीर्घा और कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कर नवाचार किये गये है। अब आने वाले समय में विधान सभा में कोई भी प्रश्नों के जवाब लम्बित नहीं रहेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि जनहित के मुद्दों को हल करने के लिए विधायकों द्वारा लगाये गये प्रश्नों के जवाब 100 प्रतिशत मंगवाये जाए।

देवनानी ने कहा कि विधान सभा सदन का आसन महत्वपूर्ण होता है। आसन पर बैठने के बाद वे अनुशासन और नियमों के प्रति कठोर हो जाते है। सदन से किसी सदस्य को अनुशासनहीनता के मामले में जब सदन से बाहर कर दिया जाता है तो उनकी स्थिति उस मां की तरह भी हो जाती है, जिसका बच्चा जब तक भोजन नहीं कर लेता है तब तक वह दु:खी रहती है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधान सभा का सत्र शानदार रहा है। विधान सभा में ऐतिहासिक कार्य हुए है। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। स्पीकर का संरक्षण ही प्रतिपक्ष को मजबूती प्रदान करता है।

जूली ने कहा कि स्पीकर देवनानी की सेन्ट्रल हॉल निर्माण की सोच सराहनीय है। यहां पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य बैठकर चर्चा कर सकेंगे और उन सभी में आपसी समन्वय की भावना भी प्रबल हो सकेगी।

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि स्पीकर देवनानी ने दो वर्षों में विधान सभा में अनेक नवाचार किये है। विधान सभा संग्रहालय को देखने आने वालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि विधान सभा से आमजन का जुडाव बढ रहा है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आभार जापित किया। समारोह में मंत्रीमण्डल के सदस्य, विधायक, जनप्रतिनिधि, कुलगुरु, शिक्षाविद सहित गणमान्य लोग मौजूद थे।

दो से ज्यादा बच्चों वाले बन सकेंगे मेयर-पार्षद

कुष्ठ रोग पीड़ित भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता अब पार्षद, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति बन सकेंगे। विधानसभा में मंगलवार को बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को पारित कर दिया। सरकार ने एक्ट की धारा 18 (2) में संशोधन किया है। दो बच्चों की बाध्यता साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई गई है। अब इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून बन जाएगा। अगले निकाय चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे।

नगरपालिका संशोधन बिल पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर निकायों में हम ''एक राज्य, एक चुनाव'' करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, एक साथ चुनाव करवाने की स्थिति में हैं। शर्त एक ही है कि ओबीसी को अगर राजनीतिक आरक्षण देना है तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पडेगा।

अगर आप विपक्ष के लोग मांग करते हैं और लिखकर देते हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए निकाय चुनाव करवा लिए जाएं तो हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे।

नगरपालिका संशोधन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओ में दो से ज्यादा बच्चों वालों को लाभ नहीं मिलता। अब निकाय और पंचायतीराज चुनावों में आपने दो बच्चों की बाध्यता हटा दी है तो क्या अब केंद्र-राज्य की योजनाओं में भी इस बाध्यता को हटाएंगे? दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं, जहां तीसरा बच्चा होने पर लाभ से वंचित कर दिया जाता है। उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

कल पंचायतीराज मंत्री कह रहे थे कि सब जागरूकता आ गई, दो बच्चों की बाध्यता की जरूरत नहीं है। जब यह सब हो गया तो फिर योजनाओं से भी बाध्यता हटाइए। डोटासरा ने कहा कि चुनाव के लिए आप नगरपालिका एक्ट में संशोधन कर दो बच्चों की बाध्यता हटा रहे हो, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हो? यूडीएच मंत्री ने कई बार चुनाव करवाने की समय सीमा के बयान दे दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओबीसी आयोग से जानबूझकर रिपोर्ट नहीं ले रहे हो। ओबीसी आयोग को पंगु बना दिया। राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बना दिया। सीएमओ में बुलाकर हाजिरी लेते हैं और बताते हो ऐसा करना है।

- **यूडीएच मंत्री बोले ''निकायों में हम 'एक राज्य-एक चुनाव' करवाने की हालत में हैं, सिर्फ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।''**
- **अगर आप विपक्ष मांग लिखकर देता है कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए निकाय चुनाव करवा लिए जाएं, तो हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे : झाबर सिंह खर्रा**
- **कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सदन में पूछा कि ''क्या केंद्र-राज्य की योजनाओं से भी दो बच्चों की बाध्यता हटाएंगे?''**

डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने का फैसला दिया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव करवाने की नीयत नहीं है। अब आप चुनाव टालने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का बहाना बना रहे हैं कि आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा। उधर, आयोग को मना कर रखा है कि रिपोर्ट नहीं देनी है। आयोग कह रहा है कि सरकार डेटा नहीं दे पा रही है। सरकार डेटा नहीं दे पा रही है तो यह उसकी विफलता है।

'60 दिन में मुकदमा तय नहीं होने के आधार पर स्वत: जमानत का अधिकार नहीं'

न्यायिक अधिकारी तय अवधि में निस्तारण का प्रयास करें : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत जमानत का स्वत: लाभ इस आधार पर नहीं मिल सकता कि गैर जमानती मामले में साक्ष्य दर्ज करने के प्रथम दिन से साठ दिन में प्रकरण तय नहीं हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को कहा है कि वह ऐसे मामलों को तय अवधि में तय करने का प्रयास करें।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में साल 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी और वह गत 25 मई से न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका में कहा गया कि गत 18 अगस्त को निचली अदालत उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। इसके बावजूद किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए, जबकि बीएनएसएस की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत यदि गैर जमानती मामले में आरोप तय होने के 60 दिन में सुनवाई पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सकता है।

इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील एमएस शेखावत ने कहा कि उसने पीडित को प्रॉफिट ट्रेडिंग प्लान का लालच देकर उससे करीब 82 लाख रुपए की ठगी की है। वहीं उसके खिलाफ अन्य मामले में लंबित है। धारा 480 की उपधारा 6 को अनिवार्य प्रावधान नहीं माना जा सकता और अदालत परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर निर्णय कर सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

46.30 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर। अशोक नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोलर प्रोजेक्ट की आड़ में फर्जी बैंक गारंटी लगाकर 46 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से फर्जी बैंक गारंटी तैयार कर सरकारी संस्था से बड़ी रकम हड़प ली थी। डीसीपी (दक्षिण) उपायुक्त राजर्षि राज ने बताया कि मुख्य आरोपी महेश भाई (50) गुजरात के अहमदाबाद का निवासी है और फिलहाल इंदौर में रह रहा था।

फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस अस्पताल जैसे मल्टी-स्पेशिलिटी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर जारी नकली मेडिकल प्रमाण पत्र जारी होने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर नकली प्रमाण पत्र बनाने और इन्हें जारी करने से रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे चिकित्सा प्रमाण पत्रों को ऑन लाइन पोर्टल के जरिए जारी करने के संबंध में लंबित फाइल पर 45 दिन में फैसला करें। अदालत ने कहा कि इसके अनुमोदन के लिए विभाग के संबंधित अधिकारियों से परामर्श कर अंतिम रूप दें। वहीं अदालत ने मामले में बनाए एसओपी के ड्राफ्ट की कॉपी भी अदालत में पेश करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शकुंतला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने अदालत को बताया कि ऐसे प्रमाण पत्रों की जालसाजी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर उसे अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। इस पर अदालत ने इसे अंतिम रूप देने के लिए 45 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने बताया कि प्रकरण एनबीसी के पास स्थित करीब छह बीघा जमीन से जुडा हुआ है। जिसके स्वामित्व को लेकर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश हुए थे। वहीं कानूनी कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता की बीमारी को लेकर याचिकाकर्ता ने एसएमएस की चिकित्सक भावना शर्मा की ओर से जारी इलाज कराने के प्रमाण पत्र को अदालत में पेश किया। वहीं अदालत ने मामले में एसएमएस प्रशासन को भावना शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा। इस पर भावना शर्मा ने इस प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए अपने खिलाफ हुए आदेश को रद्द करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की मौत भी हो चुकी है।

स्मारकों- संग्रहालयों में 18 मार्च को मिलेगा नि:शुल्क प्रवेश

जयपुर। राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने अपने अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए 18 मार्च, नि:शुल्क प्रवेश की घोषणा की है। निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग डॉ. पंकज धीरेन्द्र ने बताया कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में 7 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश नि:शुल्क है एवं लेटर पैड हस्ताक्षर युक्त पत्र के साथ आने वाले शिक्षण संस्थाओं को भी पूरे सप्ताह स्मारकों और संग्रहालयों में नि:शुल्क भ्रमण करवाया जाता है।

राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन

मंडियों और यार्डों का तेजी से होगा विकास, भूमि अर्जन प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सुव्यवस्थित : मुख्यमंत्री

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने दिशा में राज्य सरकार निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मण्डी विकास से संबंधित भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति से मण्डी समितियों के प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। नीति के अंतर्गत मण्डी विकास की परियोजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति के जिन मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी।

इसी प्रकार, भूमि अवाप्ति के ऐसे मामलें जिनमें अवार्ड जारी नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही, आपसी समझौते से भूमि के अर्जन पर भू-धारकों द्वारा मण्डी समिति को नि:शुल्क नवीन भूमि समर्पित करने पर कुल समर्पित भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इस नीति से भूमि अर्जन कर उपयुक्त स्थानों पर नवीन यार्डों का निर्माण तेजी से संभव हो सकेगा। साथ ही, भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रूपये से अधिक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, अटरू (बारां), बारां, रामगंजमण्डी (कोटा), गुलाबपुरा (भीलवाड़ा), गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर), सुजानगढ़ (चूरू), दूदू (जयपुर), सरदारशहर (चूरू) एवं सूरजपोल, (अनाज) जयपुर सहित अन्य मण्डियों में यार्ड निर्माण, विद्युत संबंधी एवं सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य करवाए जायेंगे। इन कार्यों से व्यापारियों एवं किसानों के लिए मण्डी प्रांगणों में मूलभूत सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

'छात्रावासों में चौकीदार-रसोइयें संवेदक से जॉब बेसिस पर लेते हैं'

जयपुर (कासं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और भोजन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संवेदक द्वारा जॉब बेसिस पर रसोइयों और चौकीदारों की सेवाएं ली जाती हैं। मंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में दिए गए उत्तर में विभाग के स्वीकृत पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी। विभाग के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त नहीं है। हालांकि, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था को प्रभावित न होने देने के लिए स्थानीय स्तर पर मानदेय अथवा समय-आधारित व्यवस्था के माध्यम से संवेदक द्वारा रसोइयों और चौकीदारों की सेवाएं ली जाती हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में रसोइयां एवं चौकीदारों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध अंशकालीन रसोइयां या चौकीदार कार्य नहीं कर रहे है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग के राजकीय छात्रावासों में वित्त विभाग की सहमति उपरांत रसोईयां व चौकीदार का कार्य आरटीपीपी एक्ट के मुताबिक जॉब बेसिस पर करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने हैल्पलाइन पर सुनी समस्याएं

लाखेरी के पंकज सुमन की शिकायत पर बूंदी कलक्टर को मौके पर दिए निस्तारण के निर्देश

जयपुर । राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन (181) आमजन की समस्याओं का अंतिम पडाव साबित हो रही है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उनके विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली तथा परिवादियों से सीधे संवाद कर मौके पर ही संबंधित अधिकारीयों को प्रकरणों के निस्तारण कर कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए।

- **10261 प्रकरणों का निस्तारण, औसतन 27 दिनों में हो रहा समस्याओं का समाधान**

अतिरिक्त मुख्य सचिव के परिवादियों से संवाद के दौरान बूंदी जिले के लाखेरी के पंकज सुमन द्वारा बताया गया कि मेन रोड पर लगे पीपल के पेड मे से गुजर रही बिजली लाइन आमजन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मौके पर ही बूंदी कलक्टर अक्षय गोदारा को फोन कर मंगलावार शाम से पहले परिवादी की समस्या के समाधान कर की गई कारवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीकर के महेश कुमार खुडानिया ने समस्या के समयबद्ध समाधान हो जाने पर राज्य सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जयपुर के श्री विष्णु द्वारा दर्ज केमिकल फेक्ट्री से प्रदूषण की शिकायत पर आनंद कुमार ने संबंधित अधिकारी को औचक निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल समस्याओं का अंतिम पडाव होना चाहिए। इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित कुल 10957 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 10261 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रकरणों के निस्तारण की औसत अवधि 27 दिन है । उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों में राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन पर स्वयं उपस्थित रहकर परिवादियों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया।

अमरूदों का बाग व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व समारोह पर रोक बरकरार

जयपुर (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी जयपुर में अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्किल व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व बडे समारोहों के आयोजनों पर रोक बरकरार रखते हुए इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन इलाकों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और ट्रैफिक के नियमन से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश फिलहाल प्रभावी रहेंगे।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह संबंधित क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रित करने या जरूरी प्रतिबंध के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत आठ सप्ताह में नया वैधानिक आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश प्रशासक रिटायर जस्टिस सुदर्शन कुमार मिश्रा व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। इन याचिकाओं में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

प्रशासक व एसएमएस इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राज्य सरकार ने एक परिपत्र निकालकर इन जगहों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और वह मौजूदा व्यवस्था को बहाल रखना चाहते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व नए कानूनी प्रावधानों के अनुसार वैधानिक आदेश जारी कर सकती है। गौरतलब है कि 5 सितम्बर 2018 को अमरूदों का बाग, जनपथ में एक बडी सभा के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया था। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए रैली, सभा, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी थी।

'दिलावर-डोटासरा की जोड़ी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आ सकती है'

जयपुर (विसं)। महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी बिल पर बहस का जवाब देते हुए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर चुटकी ली।

मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि आजकल एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट लगते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बेहतर परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ी को टिप्स देते हैं। उसे पता होता है कि क्या चीज करनी है, जिससे शानदार प्रदर्शन करे। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरे क्षेत्र के विधायक को देखकर विधायक में उत्तेजना जाती है यह साइकोलॉजी होती है, यह सारी की सारी चीजें जुड़ती है, तब जाकर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाता है।

- **खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह ने सदन में दोनों नेताओं पर चुटकी ली**

जैसे डोटासराजी और मदन दिलावरजी की जो जोड़ी है, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आ सकती है, यह उदाहरण ठीक है न। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी कहा कि दोनों को साथ में खाना खिला दीजिए।